*समावेशी वृद्धि एवं इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका**

रघुराम जी. राजन

यहां इस संबोधन के लिए आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद। श्री डी.आर. गाडगिल न सिर्फ एक अर्थशास्त्री के रूप में, बल्कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी विख्यात हैं। राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। 'गाडगिल फॉर्मूला' के रूप में भारतीय राज्यों के बीच प्लान ट्रांसफर के वितरण में उनके महान योगदान से हम सभी परिचित हैं। गाडगिल फॉर्मूला में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में राज्यों के बीच निधियों के वितरण में निष्पक्षता हो। भारतीय कृषि तथा कृषि क्षेत्र एवं भारत में योजना तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप में लेखन कार्य किया है। खाद्य आत्मनिर्भरता तथा योजना तैयार करने में रोजगारोन्मुखता के विषय पर श्री गाडगिल ने जिन मूलभूत सिद्धांतों का समर्थन किया, वे 'समावेशी वृद्धि' को प्राप्त करने के लिए आज भी महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से, मैं यह महसूस करता हूं कि आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं उसका इस बात से गहरा संबंध है कि श्री गाडगिल का इस विषय पर, अर्थात समावेशी वृद्धि एवं इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका, क्या अभिमत था।

डॉ. नचिकेत मोर समिति ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन के विषयों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को काफी सामग्री उपलब्ध कराई है। मैं इस समिति की अनुसंशाओं एवं कुछ अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के प्रस्ताव सहित चर्चा करना चाहता हूं।

किंतु उसके पहले मैं समष्टि आर्थिक परिस्थितियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। कृषि उत्पादन अच्छा होने, निर्यात के मजबूत होने तथा विशाल स्थापित परियोजनाओं के पुनरारंभ होने के प्रारंभिक संकेतों के कारण वृद्धि स्थिर हो रही है। हालांकि वृद्धि की स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। इसके तहत विशेषरूप से निवेश के माध्यम से वृद्धि को बढ़ाना, चालू खाता घाटे को कम बनाए रखना, सरकारी राजकोषीय नीति के अनुरूप राजकोषीय घाटे को बनाए रखना तथा मुद्रास्फीति को कम करना होगा। वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने, चालू खाता घाटे को कम करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। मुझे कोई आशंका नहीं है कि वर्ष 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा वित्त मंत्री के निर्धारित स्तर के करीब या उससे कम होगा।

हालांकि, आगे की राह में हमें राजकोषीय मजबूती के मार्ग पर राजकोषीय समायोजन की वहनीयता एवं गुणवत्ता को निरंतर सुधार करते हुए चलते रहना होगा। यह बहुत आवश्यक है कि हम दिग्भ्रमित छूट प्रदान करने एवं अधिकारों में कमी करते हुए भी पैसों को सार्वजनिक निवेश में लगाए, जिसकी आवश्यकता है।

राजकोषीय नियंत्रण के बढ़िया होने से हमें मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद मिलेगी। ऐसा ही प्रभाव कृषि मूल्य स्फीति में कमी होने का भी पड़ेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जब कृषक परेशानी में हो तब ये मूल्य बाजार मूल्यों को प्रतिस्थापित किए बगैर सिर्फ आधारभूत स्तर पर सहारा प्रदान करें। कृषिगत उत्पादों के सबसे अच्छे मूल्य प्राप्त करने और इसकी जरूरत के निर्धारण में बाजार मूल्यों की परिशुद्धता तथा बुआई के संबंध में आंकड़ों के अच्छे प्रसार से समर्थन मूल्यों की तुलना में बेहतर काम किया जा सकता है।

कुछ हद तक विरोधाभाषपूर्ण ढंग से, ऊर्जा के मूल्यों को बाजार के स्तर तक बढ़ाने से भी मध्यावधि में, जिस समयावधि में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, मुद्रास्फीति में कमी होगी। कारण यह है कि बढ़ती स्थिरता एवं पर्याप्त आपूर्ति वाले ऊर्जा के वैश्विक बाजार द्वारा मूल्य निर्धारण की अनुमति प्रदान करने से भी ऊर्जा मूल्य अधिक होने से अत्यधिक उपभोग में कमी आएगी, छूट एवं राजकोषीय घाटे में कमी आएगी तथा निवेश और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुचित अथवा अपर्याप्त मूल्य समायोजन के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति से निपटने का और अधिक भार रिज़र्व बैंक को वहन करना होगा।

अब मैं वित्तीय समावेशन की चर्चा करना चाहूंगा। वित्तीय समावेशन का मतलब है - (क) वित्तीय सेवाओं का विस्तार उन

* 13 फरवरी 2014 को मुंबई में आयोजित डी.आर. गाडगिल स्मारक दसवें व्याख्यान में डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का संबोधन।

लोगों तक करना जिन तक वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र की पहुंच नहीं है, (ख) जिन लोगों के पास नाममात्र की वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हो उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, एवं (ग) बेहतर वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ता संरक्षण, ताकि जिन लोगों को उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं वे चुनाव का उचित निर्णय ले सकें। यह वित्तीय समावेशन के लिए नैतिक एवं आर्थिक दक्षता पर आधारित, दोनों बातों के लिए अत्यावश्यक है। क्या स्वयं सुधार करने के लिए हमें प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उपकरण उपलब्ध नहीं कराना चाहिए और ऐसा करके देश का सुधार नहीं करना चाहिए ?

मैंने, पिछले सप्ताह में इला भट्ट के स्व-नियोजित महिलाओं के संघ की कुछ सदस्यों से मुलाकात की। गरीब किंतु विश्वास से भरी महिला उद्यमिओं से भरे कमरे में मैंने पूछा कि उनमें से कितनों ने एसईडब्लूए (सेवा) से जुड़ने से पहले साहूकारों से उधार लिया। उनमें से लगभग आधी महिलाओं ने अपने हाथ उठाए। जब यह पूछा कि सेवा सहकारी बैंक में आने से पहले कितनों ने नियमित बैंकों से संपर्क करने का सोचा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। रोचक बात यह है कि उनमें से बहुतों ने यह कहा कि सेवा से मिलने वाले ऋण से उनको साहूकारों की उच्च ब्याज दरों से मुक्ति मिली। जिसके कारण उनको अन्य लाभकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा से प्राप्त ऋण को पूरा अदा भी कर पा रही हैं। ऐसा मैंने अन्य लघु-उद्यमियों से भी सुना है। प्रारंभिक निवेश से प्राप्त आय का सबसे बड़ा प्रतिफल अक्सर स्वयं को साहूकार के चंगुल से मुक्त करने में होता है। गरीब को ऋण प्रदान किए जाने से प्राप्त होने वाले इस उच्च प्रतिफल के बावजूद तथा हमारे वित्तीय समावेशन के अधिकांश प्रयासों के ऋण पर केंद्रित होने के बाद भी हमारी पहुंच लक्षित जनसंख्या के बहुत कम हिस्से तक ही सीमित है। इसलिए अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना शेष है।

अतीत में हमने समावेशन को अधिदेश जारी कर प्रभावी बनाने की कोशिश की है। चाहे यह शाखा खोलने के संबंध में निदेश जारी करने के माध्यम से हो या प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के बारे में हो। अपने लक्ष्यों से अभी भी काफी दूर होने के कारण कुछ आलोचकों को यह सुझाव देने का मौका मिल गया है कि हमें अधिदेश समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि गरीबों में वित्तीय सेवाओं की मांग होगी तो उसकी जरूरतों का ध्यान बाजार रख लेगा। आलोचकों का कहना है कि इसकी आपूर्ति करने के लिए सेवा प्रदाता उत्पन्न हो जाएंगे। बाजार मांग पर प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं और सुधार करने के लिए प्रतियोगिता बहुत अच्छी ताकत का काम करती है, किंतु आधारभूत संरचना कमजोर होने, असमान विनियम, प्राकृतिक अथवा विनियामी एकाधिकारों और व्यावसायी समूहन से भी बाजार के कामकाज पर बाधा पड़ सकती है।

प्रतियोगी शक्तियों को सूचीबद्ध करते समय जहां कहीं भी कारोबार के पिरामिड के निचले हिस्से के लिए प्रतियोगिता करना संभव हो वहां विकासोन्मुखी केंद्रीय बैंक होने के नाते हमें उनको सहारा प्रदान करने की जरूरत भी है। समुचित आधारभूत संरचना को स्थापित करने और विनियमों को सक्रिय बनाकर हमें उत्पादों, संस्थाओं तथा नेटवर्क को प्रोत्साहित करना होगा जिससे समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

उत्पादों से शुरूआत करता हूं। ऋण का विस्तार करने की कोशिश हम कई दशकों से करते रहे हैं। भुगतानों को आसान बनाने और अंतरणों अथवा लाभकारी बचत उत्पादों अथवा आपात स्थितियों में आसानी से समझ आने वाले बीमा करने की ओर हमारा ध्यान बहुत कम रहा है। शायद हमें इन अन्य उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय समावेशन का विस्तार करने की कोशिश करना चाहिए और यह अनुमति प्रदान करना चाहिए कि ऋण को उत्पादों का अनुयायी हो न कि उनकी अगुवाई करे। वास्तव में, बहुत से सफल संगठन जो सबसे गरीब लोगों के बीच कार्यरत हैं वे यह कोशिश करते हैं कि गरीबों ऋण उपलब्ध कराने के पहले वे उनसे थोड़े पैसे, चाहे जितने भी कम हों, बचत के रूप में अलग रखवाएं। हमारे कुछ स्व-सहायता समूह इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। बचत की आदत एक बार मन में बैठ जाए तो इसके कारण न सिर्फ ग्राहकों को चुकौती के भार को बेहतर ढंग से वहन करने में मदद मिलती है बल्कि इसके कारण ऋण के बेहतर वितरण में भी सहायता मिलती है। शायद सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत के आधार पर ग्राहक की बचत और भुगतान प्रणालियों के विश्लेषण से यह पता चल सकता है कि ऋण का बढ़िया इस्तेमाल करने के लिए उनमें से कौन तैयार है।

सार्वत्रिक आधारभूत बचत खाता जैसे सरल उत्पाद की उपलब्धता तक में भी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की

आवश्यकताओं की बाधा है। विशेषज्ञों ने आधारभूत बैंक खाते खोलने को आसान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और अपेक्षित दस्तावेजीकरण को कम से कम करने की सलाह दी है। ऐसा करने के एक प्रयास के रूप में डॉ. नचिकेत मोर समिति ने सिर्फ स्थायी पता के प्रमाण की अपेक्षा करने की अनुशंसा की है। हालांकि यह भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्तमान अपेक्षा, जिसके अनुसार रु. 50000 से कम के खातों के लिए आवेदक को अपने पते तथा अन्य विवरणों को स्वयं प्रमाणित करन की आवश्यकता होती है, से अधिक की मांग करता है। किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रोत्साहन के बावजूद सिर्फ कुछ बैंकों ने दस्तावेजों की मांग करने में कमी की है। उन्हें डर है कि यदि कुछ गलत हुआ तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, विनियामी मानदंड चाहे जो भी हों। अन्य व्यक्ति द्वारा केवाईसी प्रमाणीकरण को स्वीकार करना विशेषरूप से कठिन है।

आज की स्थिति में, कड़े केवाईसी मानकों के कारण बहुत से लोग बैंकिंग प्रणाली से बाहर रह जाते हैं और अन्य लोगों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनते हैं। बैंक इन मानकों को आपराधिक अथवा आतंकवादी गतिविधियों से बचाव करने की अपेक्षा विनियामकीय अथवा विधिक दायित्वों के कारण स्वीकार करते हैं। क्या हम बेहतर नहीं कर सकते ? कुछ बैंकरों का सुझाव होता है कि आधारभूत खातों (जैसे, अधिक मूल्य के चैक को नकदीकरण के पहले कुछ दिनों तक अपने पास रखने) पर भी कुछ पाबंदियां लगाते हुए खातों के निरीक्षण की गतिविधि के सावधानीपूर्ण ढंग से आशंकापूर्ण अधिकांश गतिविधियों की पहचान करके उन्हें रोका जा सकता है। कम मूल्य वाले खातों में मामूली गड़बड़ी होने पर क्या हम वाणिज्य बैंक को, यदि बैंक के पास बड़ी गड़बड़ियों की पहचान करने की विश्वसनीय प्रणाली स्थापित होने पर, थोड़ी विनियामकीय छूट प्रदान कर सकते हैं ? क्या सुरक्षित खातों की व्यापक उपलब्धा को आसान बनाने से प्राप्त होने वाले लाभ मामूली गड़बड़ियों से अधिक होंगे ? प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति के बिना प्रणाली के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को एक-दूसरे के केवाईसी पर भरोसा करने के लिए हम कैसे तैयार कर सकते हैं ? उक्त मुद्दे के प्रभावपूर्ण समाधान में प्रौद्योगिकी किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकती है ? हमें इन प्रश्नों की जांच कर उनका समाधान ढूंढ़ना है।

व्यापक मुद्दा यह है कि क्या बेहतरीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ग्राहकों को आसान, कम लागत वाले तथा प्रयोग में सरल उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। मोबाइल फोनों के मामले में हमने ऐसा किया है, क्या हम बैंकिंग के मामले में भी ऐसा कर सकते हैं ? भुगतान एक अन्य स्पष्ट उत्पाद हो सकता है। मुझे यह रेखांकित करना चाहिए कि भारत में हमारी भुगतान प्रणाली बहुत उन्नत है। बड़े मूल्य एवं छोटे लेनदेन -दोनों के लिए हमारे यहां भुगतान तथा मजबूत भुगतान एवं निपटान नेटवर्कों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन बड़े प्रौद्योगिकी केंद्र विद्यमान हैं। सभी ई-वाणिज्यिक लेनदेनों के लिए हमने अभिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक की शुरूआत की है जिसके कारण ऐसे लेनदेन अधिक सुरक्षित हो गए हैं। हम क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेनदेनों के लिए चिप एवं पिन आधारित प्रौद्योगिकी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। बैंक एवं क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेनदेनों के लिए एसएमएस चेतावनी भेजा जाना अमरीका की तुलना में भी अधिक महत्त्वपूर्ण विकास है जहां पर क्रेडिट कार्ड चोरी होने की जानकारी आपको होने से पहले ही चोर आपके कार्ड से हजारों डॉलर का बिल कर पाना आसान समझता है। इस सब का अर्थ यह है कि हमारे पास सस्ते एवं सुरक्षित भुगतान एवं विप्रेषणों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को उपलब्ध कराने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाएं इस आधारभूत संरचना का उपयोग करें।

900 मिलियन से भी अधिक मोबाइल फोन होन के कारण भारत में मोबाइल बैंकिंग को वित्तीय सेवाओं के एक वितरण माध्यम के रूप में प्रयोग करने के बड़े संभावनायुक्त अवसर हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए हमने जानबूझकर बैंकों की अगुवाई वाला मॉडल अपनाया है जबकि मोबाइल नेटवर्क प्रचालकों सहित गैर-बैंक संस्थाओं को मोबाइल वालेट जारी करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत अभी की स्थिति में नगद आहरण संभव नहीं है। यदि हम कारोबारी संपर्कियों के बहुत विशाल तथा सर्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से बैंक खातों एवं मोबाइल वालेटों के बीच निधियों का स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण के साथ ही मोबाइल वालेटों से नगद निकासी के लिए भी सुरक्षित तरीका ढूंढ सकें तो यह सस्ते एवं सार्वत्रिक भुगतानों और विप्रेषणों की कुंजी होगी। डॉ. नचिकेत मोर समिति ने भुगतान बैंकों के सृजन को इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक कदम

मानने का सुझाव दिया है। अन्य सुझाव हैं - परस्पर संचालनीय कारोबारी संपर्की, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को दूरदराज के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे, और कारोबारी संपर्कियों के रूप में एनबीएफसी का प्रयोग करना। हम इन सभी सुझावों की जांच करेंगे।

इस दौरान कुछ रोचक उपाय उभर कर आ रहे हैं। प्रेषण के लिए नकदी निकालना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश में हमारे पास नकद लेने करने वाली बहुत अधिक जनसंख्या है जिनमें से अधिकांश को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की उपब्धता नहीं है। हाल ही में हमनें ऐसी भुगतान प्रणाली को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है जिसके माध्यम से बैंक खाता धारकों से खाता धारित नहीं करने वाले लागों को एटीएमों के माध्यम से राशि अंतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य रूप से, इसमें प्रेषक एटीएम के माध्यम से लेनदेन करके अपने खाते से पैसे आहरित कर सकेगा। जो मध्यस्थ होगा वह भुगतान की प्रक्रिया करेगा और प्राप्तकर्ता को उसके मोबाइल पर एक कोड भेजेगा जिसका उपयोग करके वह किसी भी निकट स्थित एटीएम से आहरण कर सकेगा। इस प्रणाली में ग्राहक की पहचान करने, लेनदेन को प्रमाणित करने, गति पर नजर रखने इत्यादि आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। हमें ऐसे नवोन्मेषी उत्पादों की और अधिक जरूरत है जिनमें से कुछ तो मोबाइल कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं।

भारत में मोबाइलों का घनत्व अधिक होने के बाद भी यह एक हकीकत है कि अधिकांश हैंडसेट मूलभूत प्रकार के हैं और बहुत से मोबाइल कनेक्सन प्रीपैड उपभोक्ताओं के हैं। ये अवरोध महत्त्वपूर्ण हैं। मोबाइल बैंकिंग से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की तकनीकी समिति ने, अन्य बातों के अलावा, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों के पंजीकरण/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को मानक एवं सरल बनाने की आवश्यकता की बात कही है। इसके लिए एक संसक्त जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। सभी बैंकों को एक ही एपलीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए और ग्राहक चाहे किसी भी हैंडसेट का प्रयोग करे उसे ऐसे लेनदेन के लिए एसएमएस तथा यूएसएसडी प्रौद्योगिकी सहित सुरक्षा के आवश्यक स्तर (इन्क्रिप्शन के माध्यम से) उपलब्ध कराना चाहिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सर्वोत्तम सेवा के लिए मानक तय किया है और साथ ही बैंकों तथा उनके अभिकर्ताओं के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यूएसएसडी सेवाओं के बदले में प्रभार लगाने की अधिकतम सीमा भी तय की है। हमारे पास एक बड़ा अवसर है कि बैंक और दूरसंचार सेवा प्रदाता साथ में आकर ग्राहकों को बाधारहित और सुरक्षित तरीके से सभी प्रकार की मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं। आगामी कुछ महीनों में हम प्रमुख संस्थाओं के बीच वार्तालाप को और बढ़ाएंगे।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग ऋण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है जिसकी चर्चा के साथ मैंने आज के व्याख्यान का प्रारंभ किया था। एमएसएमई पर हमेशा उनके बड़े खरीददारों द्वारा दबाव डाला जाता है जो लंबे समय तक विलंब के पश्चात भुगतान करते हैं। यदि एमएसएमई अपने उत्पादों को बाजार में बड़े खरीददारों को बेच सकें तो सभी के लिए बेहतर होगा। एमएसएमई को अपना पैसा जल्दी प्राप्त होगा और दावों को एमएसएमई के पास धारित रखने के स्थान पर बाजार को अपने दावे बड़े खरीददारों से बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे। बड़े खरीददारों को उनकी खरीद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे। इस सब के लिए व्यापार-प्राप्ति योग्य विनिमय केंद्र की स्थापना की आवश्यकता है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार के प्रतिभागियों से विचार-विमर्श कर रहा है। एक बार फिर से, लेनदेन के लगभग प्रत्येक पहलू को स्वचालित करने के माध्यम से लेनदेन की लागत को कम करना मुख्य बात होगी ताकि सबसे छोटे एमएसएमई को भी लाभ मिल सके।

गरीब लोग और छोटे कारोबारियों को ऋण प्राप्त होने में आने वाली कठिनाइयों में से एक इस संबंध में सूचना का अभाव है। ऋण देने के लिए भी उनका मूल्यांकन किया जाता है और ऋण प्रदान करने के बाद उधार देने वाले को उनका पर्यवेक्षण भी करना होता है। यदि बचत एवं भुगतान के उत्पादों की व्यापक बिक्री की जाए और मोबाइल कंपनियों सहित सहूलियत प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ ही सरकार को भुगतान किए जाने की सूचना को एकत्र कर इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए तो वंचित लोग सूचना का रिकॉर्ड तैयार कर सकेंगे जिससे उनको ऋण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा, यदि चूक के संबंध में नकारात्मक सूचना को वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से उचित तरीके से साझा किया जाए तो प्रत्येक उधारकर्ता का कुछ न कुछ दांव पर लगा होगा। उनके ऋणों

का ब्योरा सार्वजनिक होगा जो समय पर चुकौती के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। इसके बदले में यह बैंकों की ऋण प्रदान करने की इच्छा को और मजबूत करेगा।

डॉ. नचिकेत मोर समिति ने भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानकों को बदलने के ढंग के बारे में राय प्रकट की है जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को और अधिक दक्षता पूर्वक ऋण प्रदान करते हुए भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए जो बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का काम अच्छा कर रहे हों वे उन्हें वही कार्य और अधिक करना चाहिए जबकि जो बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने में अच्छा कार्य कर रहे हों उनको उसमें विशेषज्ञता की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समिति ने अलग-अलग मानकों के संबंध में निष्पादन को महत्त्व देने का समर्थन कर कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने की बात कही है। इस प्रकार से एक बैंक विशेषरूप से कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करके अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और दूसरा बैंक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सिर्फ एमएसएमई को ऋण प्रदान कर सकता है। इनके महत्त्वों को समायोजित किया जाएगा ताकि समग्र रूप से प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः यदि कृषि क्षेत्र को ऋण अपर्याप्त हो जबकि एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों का लक्ष्य से अधिक वितरण हो रहा हो तो कृषि ऋण के महत्त्व को बढ़ाया जाएगा और एमएसएमई ऋण के महत्त्व को कम किया जाएगा। ये बड़े रोचक विचार हैं और हम उनकी बहुत विस्तृत जांच करेंगे।

अंततः, मैं उपभोक्ता साक्षरता तथा संरक्षण की बात करना चाहूंगा। जैसे-जैसे हम अधिक जनसंख्या तक पहुचते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेचे जा रहे उत्पादों की समझ उनको हो तथा उचित निर्णय लेने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी हो। वित्तीय बाजारों में प्रयुक्त मानक है कि क्रेता सावधान अथवा क्रेता को सावधान रहना चाहिए - अर्थात जब तक क्रेता को सक्रिय रूप से दिग्भ्रमित नहीं किया जाए, उत्पादों की खोज कर पसंद करना और खरीद के निर्णय लेना उसकी जिम्मेदारी होती है। इससे सावधानी बरतने के संबंध में क्रेता के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है किंतु इससे पसंद का चुनाव करने के लिए बहुत स्वतंत्रता भी मिलती है, जिसमें गलत निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

किंतु जिन निवेशकों के पास जानकारी का अभाव हो और जो निवेशक अविवेकी हों उनके लिए हमें डॉ. नचिकेत मोर समिति की इस अनुशंसा पर विचार करना चाहिए कि निवेशकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बारे में कुछ दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए। व्यापक रूप से कहा जाए तो उत्पाद जितने जटिल हों उसके लक्षित ग्राहकों को उतना ही अधिक विवेकपूर्ण होना चाहिए। क्या हमें ऐसे मानदंडों का रूख करना चाहिए जहां पर सभी लोगों प्रसार करने के लिए सरल उत्पादों के समूह को पूर्व अनुमोदन प्राप्त होता है। किंतु उत्पाद के अधिक जटिल होने के साथ ही वित्तीय क्षेत्र के सेवा प्रदाता इस बात की और अधिक जिम्मेदारी का वहन करते हैं कि क्रेता विवेकपूर्ण था और/अथवा उत्पाद खरीदने के पहले क्रेता को समुचित सलाह दी गई थी।

बेशक, दीर्घावधि के लिए उपाय यही है कि ग्राहक अधिक समझदार बन जाएं। क्या वित्तीय मामलों में लोगों को शिक्षित करने में प्रौद्योगिकी क्षेत्र मदद कर सकता है ? आखिरकार, वित्त एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग पाठशालाओं में नहीं सीखते हैं किंतु यह एक ऐसा मामला है जिससे दुनिया में उनका रोज सामना होता है। किफायती किंतु उच्च गुणवत्ता वाली दूरस्थ वित्तीय शिक्षा की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है और हम उद्यमियों से आशा करते हैं कि इसे उपलब्ध कराने के बारे में नवोन्मेषी मार्गों के बारे में विचार करें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले एक चेतावनी। प्रौद्योगिकी, वित्त की उपलब्धता को बुरे और अच्छे -दोनों उद्देश्यों के लिए बढ़ा सकती है। आप में से बहुत लोगों को कई बार कथित रूप से मेरी ओर से मेल प्राप्त हुआ होगा जिसमें यह सूचित किया गया होगा कि एक बड़ी धनराशि भारतीय रिज़र्व बैंक में आपका इंतजार कर रही है और आपसे आग्रह किया गया होगा कि आपके खाते के विवरण भेजें ताकि मैं आपकी राशि आप को भेज सकूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय रिज़र्व बैंक पैसे नहीं बांटता, ऐसे ई-मेल मैं नहीं भेजता और यदि आप ऐसे ई-मेल के झांसे में आते हैं तो आप बदमाशों के कारण बहुत पैसे खो देंगे। आप इस युक्ति का ध्यान रखें कि यदि कोई चीज इतनी बढ़िया हो कि सत्य ही लगे तो शायद वह सत्य नहीं है।

बेशक, धोखाधड़ी पर नज़र रखने में भी प्रौद्योगिकी मदद कर सकती है। क्या हम धोखाधड़ी की पहचान करने और विनियमों की मदद करने के संबंध में लोगों को समर्थ बनाने के लिए सोसियल मीडिया से सहयोग ले सकते हैं ? जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है ? पुनः, इस समय ये प्रश्न हमारे समक्ष हैं किंतु मैं आश्वस्त हूं कि हम इनके समाधान ढूंढ़ लेंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कम मूल्यों वाले लेनदेनों की विशाल संख्या, जो वित्तीय समावेशन का केंद्र बिंदु है, को संभव बनाने में लेनदेन की लागत में कमी लाने की अपनी क्षमता के कारण प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रमुख है। आंकड़ों की विशाल मात्रा को एकत्र करने और उसको संसाधित करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकती है। जब उत्पाद नेटवर्क से प्रभावित हो रहे हों तब प्रौद्योगिकी न सिर्फ अंतरपरिचालनीयता को सुनिश्चित करेगी बल्कि नेटवर्किंग के लाभों को प्राप्त करने और सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्तवपूर्ण होगी और लोगों का भरोसा बनाए रखने तथा एक बार फिर से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उनके बाहर जाने से रोकने के लिए भी महत्त्वपूर्ण होगी। मैं निष्ठापूर्वक उम्मीद करता हूं कि इस देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए सफल सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) उद्योग वित्त उद्योग जगत का साथ देगी।